प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2024, थाना कर्नलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-328/24, धारा 105, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों -01. अनिल उर्फ अन्नू तिवारी, व 02. सुशील तिवारी को उनके फार्म हाउस (घर के पास) से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री गल्लर पुत्र ठाकुर निवासी ग्राम खजुरिया थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 01.07.2024 को थाना कर्नलगंज पर सूचना दिया गया की उसका लड़का सुबह अपना जानवर चराने गया था। विपक्षी अपने खेत में कटीला तार लगाकर उसमें बिजली लगाये थे, लड़का अपना जानवर हाकने गया की करंट के चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-328/24, धारा 105, 351(2) बीएनएस बनाम अनिल उर्फ अन्नू तिवारी आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 23.09.2024 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त -01. अनिल उर्फ अन्नू तिवारी, व 02. सुशील तिवारी को उनके फार्म हाउस (घर के पास) से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अनिल उर्फ अन्नू तिवारी निवासी ग्राम मुन्नूपुरवा खजुरिया थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
02. सुशील तिवारी पुत्र जगदम्बा तिवारी निवासी ग्राम मुन्नूपुरवा खजुरिया थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-328/24, धारा 105, 351(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बब्बन सिंह
02. हो0गा0 गंगेश प्रसाद पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2024, थाना को0मनकापुर

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-441/24, धारा 137(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त विरेन्द्र उर्फ लाला उर्फ नीरज पुत्र शिवनाथ वर्मा निवासी ग्राम शेखापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को अमवा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.08.2024 को थाना को0मनकापुर क्षेत्र के रहने वाले एक महिला द्वारा थाना को0मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त विरेन्द्र उर्फ लाला उर्फ नीरज पुत्र शिवनाथ वर्मा निवासी ग्राम शेखापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.09.2024 को अमवा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विरेन्द्र उर्फ लाला उर्फ नीरज पुत्र शिवनाथ वर्मा निवासी ग्राम शेखापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-441/24, धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कमल किशोर मिश्र
02. हे0का0 संदीप यादव
03. का0 सत्यवीर सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2024, थाना खरगूपुर
जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-212/24, धारा 137(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अर्जुन पुत्र भिखारी निवासी राजाजोत बेलवा सुल्तान थाना कोतावली देहात जनपद बलरामपुर को संझवल पोखरा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 23.08.2024 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अर्जुन पुत्र भिखारी निवासी राजाजोत बेलवा सुल्तान थाना कोतावली देहात जनपद बलरामपुर को थाना खरगूूर पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.09.2024 को संझवल पोखरा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. अर्जुन पुत्र भिखारी निवासी राजाजोत बेलवा सुल्तान थाना कोतावली देहात जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-212/24, धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 शेषनाथ पाण्डेय
02. हे0का0 बिजली प्रसाद

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2024, जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में एन0बी0डब्लू अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विशेष अभियान के तहत गोण्डा पुलिस की बडी कार्यवाही, 02 दिवस में विभिन्न अपराधों में कुल 112 वारंटी गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को विशेष अभियान के तहत वारण्टी, गैगेस्टर, वांछित, जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके परिपेक्ष्य में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट(एन0बी0डब्ल्यू) के विरूद्ध 02 दिवस की कार्यवाही में कुल 112 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें थाना को0 नगर से 15, को0 देहात से 13, खरगूपुर से 17, इटियाथोक से 07, मोतीगंज से 02, छपिया से 06, खोड़ारे से 01, मनकापुर से 05, तरबगंज से 03, नवाबगंज से 09, वजीरगंज से 02, परसपुर से 02, उमरीबेगमगंज से 07, करनैलगंज से 10, कटराबाजार से 06, कौडिया से 07 वारंटी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी इस कार्यवाही के अन्तर्गत पिछले 02 दिवस में कुल-112 गैर जमानतीय वारण्ट(एन0बी0डब्ल्यू) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2024, थाना- वजीरगंज
जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत घर में घुसकर चोरी करने के 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे चोरी का बैट्री, इनवर्टर, गैस सिलेण्डर, बक्सा, भगौने, बटुली, परात आदि बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 336/2024, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों 01. संदीप जायसवाल व 02. फिरोज उर्फ अंसार आलम को गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर चोरी की 01 अदद इनवर्टर, 01 अदद बैट्री, 02 अदद गैस सिलेण्डर, 01 अदद टुटा हुआ बक्सा, 03 अदद बडे भगौने व उसके ढक्कन (जस्ता), 01 अदद भगौना (पीतल), 01 अदद बटुली (जस्ता), 01 अदद बडा परात (पीतल) चोरी का बरामद कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.09.2024 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के रहने वाली एक महिला द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि वह अपने घर में ताला लगाकर अपने लड़के के पास पंजाब गयी थी वापस आयी तो देखा की उसके घर से विपक्षीगण घरेलू सामान उठा ले गये है । तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0स0- 336/2024, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 बनाम संदीप आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 23.09.2024 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा 02 आरोपी अभियुक्तों 01. संदीप जायसवाल व 02. फिरोज उर्फ अंसार आलम को गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर चोरी की 01 अदद इनवर्टर, 01 अदद बैट्री, 02 अदद गैस सिलेण्डर, 01 अदद टुटा हुआ बक्सा, 03 अदद बडे भगौने व उसके ढक्कन (जस्ता), 01 अदद भगौना (पीतल), 01 अदद बटुली (जस्ता), 01 अदद बडा परात (पीतल) चोरी का बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. संदीप जायसवाल पुत्र कृष्णा जायसवाल निवासी ग्राम परसापुर महडौर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।
02. फिरोज उर्फ अंसार आलम पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम रमराईपुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 336/2024, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद इनवर्टर

02. 01 अदद बैट्री

03. 02 अदद गैस सिलेण्डर

04. 01 अदद टुटा हुआ बक्सा

05. 03 अदद बडे भगौने व उसके ढक्कन (जस्ता)

06. 01 अदद भगौना (पीतल)

07. 01 अदद बटुली (जस्ता)

08. 01 अदद बडा परात (पीतल) चोरी का बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी

02. उ0नि0 प्रवीण सिंह

03. हे0का0 विनोद सोनी

04. का0 रजत सिंह

05. का0 शिवम पाल

मीडिया सेल, गोण्डा।